

04.03.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी
स्वंप उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर
भी उपस्थित नहीं हुए। दत्त वादी का यह वादपत्र
द्वयम पैरवी - द्वयम हाजिरी में इसी स्तर पर
शाहज किया जाता है। पत्रावली बाद तस्वीर तस्वीर
होकर ट्रायल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर पुले न्यायालय में
सुनाया गया।

(सुरेश कुमार शर्मा)
RAS.